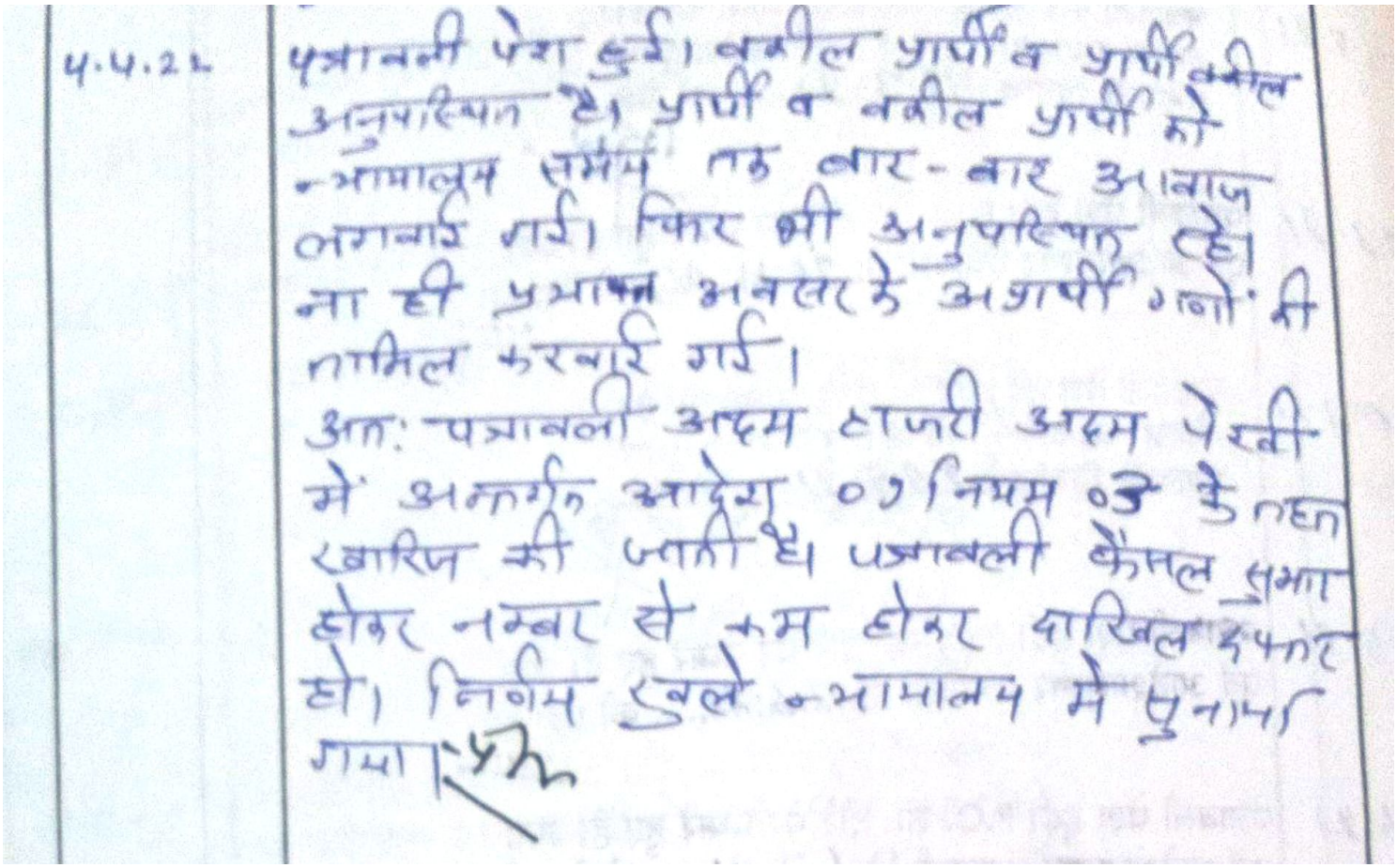

4.4.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी वकील अनुपस्थित है। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को न्यायालय समय तक बार-बार आवाज लगवाई गई। फिर भी अनुपस्थित रहे। ना ही प्रमाणन अनतर के अप्रार्थीगणों की तामिल करवाई गई। अत: पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03 के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली कैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।